ऑन लाईन नं. **RCMS 2022/247**

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 33/2022

1. श्री कृष्णलाल उर्फ किशन लाल पुत्र श्री लालचन्द जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 13, पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर **अपीलांट**

बनाम

1. दीक्षा सेतिया पत्नी श्री दीपक खुराना जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 13, पदमपुर हाल आबाद वार्ड नम्बर 01, भवानी चौंक, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर **रेस्पोडेन्टस**

उपस्थित : **1. श्री विक्रम बिश्नोई , अधिवक्ता, अपीलार्थी**
2. श्री प्रदीप सिहाग, अधिवक्ता, रेस्पो.

अपील विरूद्व आदेश इंतकाल संख्या 557 दिनांक 21.10.2022 स्वीकृत दिनांक 27.10.2022 जिसकी रूह से अपीलांट को वसीयत से प्राप्त अपीलाधीन भूमि का इंतकाल रेस्पोडेन्ट के नाम विधि विरूद्व स्वीकार किया गया को निरस्त करने हेतू।

आदेश **दिनांक : 12.09.2023**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि वाके चक 20 बी. बी. सैकिण्ड तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 82 हाल 36 में 23 बीघा 14 बिस्वा में 1/4 हिस्सा दीपक खुराना पुत्र श्री कृष्णलाल उर्फ किशनलाल का था। दीपक खुराना को उक्त भूमि अपने दादा स्व. लालचन्द पुत्र श्री कुशाल दास से वसीयत से प्राप्त हुई थी और दीपक खुराना ने अपने 1/4 हिस्से की वसीयत दिनांक 04.01.2021 को बरोबरू गवाहान पूर्ण होश, हवास से बिना जबर दबाव के व स्वेच्छा से स्वस्थचित से अपीलांट के हक में निष्पादित कर दी थी और इस वसीयत को नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवा दिया था। दीपक खुराना का स्वर्गवास दिनांक 17.08.2021 को होने से उक्त वसीयत प्रभावी हो गयी थी और अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.08.2002 उक्त वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने हेतू आवेदन पत्र पेश किया था। इस पर प्रकरण संख्या दर्ज किया जाकर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली और आम सूचना प्रकाशित की, रिपोर्ट पटवारी में अपीलाधीन भूमि चक 20 बी.बी. सैकिण्ड के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 2 ता 25 की 5.996 हैक्टर नहरी भूमि में 1/4 हिस्सा मृतक दीपक खुराना पुत्र कृष्णलाल उर्फ किशन लाल का होना और भूमि पर अपीलांट के काबिज होने की रिपोर्ट की थी। अपीलांट ने साक्ष्य में वसीयत के दोनो गवाहान दिनेश कुमार व गौरव मिगलानी के बयान वसीयत की पुष्टि में करवाये और उक्त दोनो गवाहान ने वसीयत की पुष्टि की, वसीयत के गवाहान से मृतक द्वारा वसीयत की जानी साबित थी। अधीनस्थ न्यायालय

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ने अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का वरीयत के आधार पर इंतकाल करवाने का प्रार्थना पत्र खारिज कर विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अलग से अपील दायर कर दी गई है और आदेश दिनांक 21.10.2022 के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल संख्या 557 दिनांक 21.10.2022 स्वीकृत दिनांक 27.10.2022 को स्वीकार किया गया के विरूद्ध उक्त प्रस्तुत की जा रही है। खातेदार दीपक खुराना ने दिनाक 04.01.2021 को अपीलाधीन भूमि की वरीयत बरोबरू गवाहान अपीलांट के हक में निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवा दी थी। वरीयत के प्रकरण मे वरीयत के दोनो गवाह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए और मृतक दीपक खुराना द्वारा अपीलांट के हक मे वरीयत करने की अपनी साक्ष्य दी थी, वरीयत के गवाहान की इस साक्ष्य से अपीलांट के हक में वरीयत की जानी साबित थी। अधीनस्थ न्यायालय ने वरीयत के गवाहान की साक्ष्य को न मानकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर अपीलाधीन इंतकाल से भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज की है ऐसी सूरत में आदेश दिनांक 21.10.2022 की पालना में फौरी तौर पर अपील के समय के अन्दर बिना अधिकार इंतकाल स्वीकृत किया गया है को निरस्त किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा इन्तकाल स्वीकार करने की शक्तियां सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को प्रदान कर रखी है। विरासतन इंतकाल सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा ही तस्दीक किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन इंतकाल सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा ही तस्दीक किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन इन्तकाल सम्बन्धित ग्राम पंचायत में न भेजकर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इंतकाल स्वीकृत करने का जो आदेश दिया है जो विधि विरूद्ध बिना अधिकार स्वीकार किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट अपीलाधीन भूमि पर काबिज है। मृतक को भूमि अपने दादा से वरीयत से प्राप्त हुई थी और मृतक द्वारा वरीयत अपीलांट के हक में कर देने से मृतक के पास कोई सम्पति नहीं थी, अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक वारिसान के नाम अपीलाधीन इंतकाल से विधि विरूद्ध भूमि दर्ज कर दी है और रेस्पोडेन्ट अपीलाधीन भूमि को बैचान करने के फिराक में है इसलिए रेस्पोडेन्ट को भूमि विक्रय करने से व अपीलांट के कब्जा में हस्तक्षेप करने से रोका जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश इंतकाल संख्या 557 दिनांक 21.10.2022 स्वीकृत दिनांक 27.10.2022 निरस्त किया जाकर भूमि अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त अपील इन्तकाल संख्या 557 स्वीकृत दिनांक 27.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। कानूनन इन्तकाल की अपील माननीय न्यायालय में ही दायर हो सकती है। इसलिए अपील माननीय न्यायालय में दायर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.10.2022 के विरूद्ध अलग से अपील दायर की गई है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2022 के विरूद्ध उक्त अनवानी अपील प्रस्तुत की गई है जो दोनो अलग अलग है। राज्य सरकार द्वारा इन्तकाल स्वीकार करने की शक्तियां सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को प्रदान कर रखी है। विरासतन इंतकाल सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा ही तस्दीक किया जाता है। अपीलाधीन इंतकाल सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा ही तस्दीक किया जाना था, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन इन्तकाल सम्बन्धित ग्राम पंचायत में न

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

भेजकर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इंतकाल स्वीकृत करने का जो आदेश दिया है जो विधि विरूद्ध बिना अधिकार स्वीकार किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट अपीलाधीन भूमि पर काबिज है। मृतक को भूमि अपने दादा से वसीयत से प्राप्त हुई थी और मृतक द्वारा वसीयत अपीलांट के हक में कर देने से मृतक के पास कोई सम्पति नहीं थी, अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक वारिसान के नाम अपीलाधीन इंतकाल से विधि विरूद्ध भूमि दर्ज कर दी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश इंतकाल संख्या 557 दिनांक 21.10.2022 स्वीकृत दिनांक 27.10.2022 निरस्त किया जाकर भूमि अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार भू अभिलेख पदमपुर द्वारा प्रकरण संख्या 49/2022 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2022 की पालना में दर्ज किय गये इन्तकाल संख्या 557 दिनांक 27.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार पदमपुर द्वारा प्रकरण में विधिनुसार कार्यवाही संचालित कर बाद दोनों पक्षो की सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिया जाकर एवं साक्ष्य लेखबद्ध कर आदेश दिनांक 21.10.2022 को पारित किया गया, जिसकी पालना में इन्तकाल संख्या 557 दिनांक 27.10.2022 स्वीकृत किया गया है, ऐसे में जब मूल आदेश दिनांक 21.10.2022 की अपील ही श्रीमान न्यायालय के संधारण योग्य नहीं है तो उक्त आदेश की पालना में स्वीकृत इन्तकाल की अपील भी प्रारम्भ से ही शून्य है अर्थात माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार , क्षेत्राधिकार में नहीं है, चूंकि जब तक मूल आदेश को चुनौती दी जाकर सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लिया जाता है तब तक उक्त आदेश की पालना में दर्ज किये गये इन्तकाल को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अतः अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने के कारण क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपील खारिज की जानी चाहिये।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस निम्न नजीरे पेश की है :-

1. आर.आर.डी. 1997 पेज -127 130
2. आर.आर.टी. 2018 19 पेज- 424-426
3. आर.आर.टी. 2010(2) पेज- 1322-23
4. आर.बी.जे. 2020 पेज- 1-5
5. आर.आर.टीऋ 2016 (1) पेज - 726-727
6. इस न्यायालय का निर्णय प्रति अपील संख्या 06/2016

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पदमपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 21.10.2022 की पालना में स्वीकृत इन्तकाल दिनांक 27.10.2022 दोनों पक्षों को सुनकर पारित किया गया है इसलिए हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन आदेश 21.10.2022 की पालना में स्वीकृत इन्तकाल दिनांक 27.10.2022 को तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2022 को प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद रेस्पोडेन्ट दीक्षा सेतिया पत्नी दीपक खुराना ने दिनांक 17.10.2022 को अपनी आपत्ति पेश की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों पक्ष उपस्थित हो गए हैं और एक पक्ष द्वारा आक्षेप कर देने से अपीलाधीन **इंतकाल विवादित हो गया है।** इस प्रकार अपीलाधीन इंतकाल के विवादित हो जाने के कारण अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार धारा 135(2) के अन्तर्गत इस न्यायालय को नहीं है।

मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा आर बी जे (4)1997 पेज 198 में अभिनिर्धारित किया है कि Rajasthan Land Revenue Act 1956 - Section 135[2] In Case of Disputed Mutation- Appeal will lie before the Commissioner.

शासन के परिपत्र सं0 एफ 6 (21) रेवेन्यू/ जीआर /4/ 87/ 29 जीएसआर/60 दिनांक 20-6-87 द्वारा डायरेक्टर लैण्ड रिकार्ड की शक्तियाँ माननीय संभागीय आयुक्त को है।

इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पदमपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश आक्षेप के संदर्भ में दोनों पक्षों को सुनकर पारित किया गया है जो धारा 135(2) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की परिधि में होने से हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है। अतः हस्तगत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होने से अपीलार्थी को लौटाई जाती है। आदेश की प्रति पालनार्थ सम्बन्धित तहसीलदार रायसिंहनगर को भिजवाई जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 12.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अति0 जिला कलेक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।